MJCR/09/2020

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

आरक्षी केन्द्र बेटमा की ओर से श्री राजेश जमरा क्रं. 834 ने अपराध क्रं. 97/2018 पर पंजीबद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 379 भा.द.वि. के संबंध में खात्मा प्रतिवेदन केस डायरी सहित खात्मा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया।

प्रकरण विविध आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध किया जावे।

आवेदक को सूचना पत्र इस आशय का जारी किया जाये की वह न्यायालय में पहचान संबंधी दस्तावेज के साथ उपस्थित रहे।

प्रकरण आवेदक की उपस्थिति एवं खात्मा रिपोर्ट पर आदेश हेतु दिनांक 25.01.2020 को पेश हो।

सूचना पत्र जारी
P.N. 27
13/01/2020

(... मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

25/01/2020

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

प्रकरण आवेदक की उपस्थिति/खात्मा रिपोर्ट पर आदेश हेतु नियत है।

आवेदक स्वयं उपस्थित। उसके खात्मा कथन अंकित किये गये।

प्रकरण पर आदेश हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचनाकर्ता मृदुल भदौरिया पिता उत्तम भदौरिया द्वारा दिनांक 12.02.18 को पुलिस थाना बेटमा पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.–04 एम.एक्स.–9413 के संबंध में धारा 379 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी जिसके आधार पर अप. क्रं. 97/18 पंजीबद्ध किया गया था।